worked very satisfactorily. And that is why we referred the whole issue to the Tariff Commission. Hon. Member, Dr. Bhai Mahavir, wanted to know about the date of the implementation of the Tariff Commission's recommendation. I have stated it earlier. So far, this is voluntarily agreed between the spinners and weavers with the good offices of the Textile Commissioner. Sir, this is only voluntary and it has not worked properly. That is why we set up this Tariff Commission. This might not work voluntarily. That is why I have given a hint that if it does not work voluntarily, to our satisfaction, we will have statutory measures for it.

MR. CHAIRMAN: Next question...

SHRI G.A. APPAN: I am a textile man. I am a weaver myself. My party has not asked any question on this...

MR. CHAIRMAN: No question of party.

SHRI G. A. APPAN: I have not had my say.

MR. CHAIRMAN: Next question.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

*469. श्री ना० कृ० शेजवलकर :
श्री आर० पी० खैतान ।
श्री निरंजन वर्मा :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितने-कितने मामले भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े थे ;

(ख) इनमें से कितने मामले पांच वर्ष या इससे अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिये की गई कार्यवाही और उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

†[CASES PENDING IN SUPREME COURT AND HIGH COURTS

*469. SHRI N.K. SHEJWALKAR:
SHRI R. P. KHAITAN‡:
SHRI NIRANJAN VARMA:
SHRI PREM MANOHAR:
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases pending before the Supreme Court of India and the High Courts at the end of each year during the last five years;

(b) the number of cases out of them which are pending before them for five years or more; and

(c) the details of the action taken and the steps proposed to be taken to improve the position in this regard?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट 71, अनुबन्ध संख्या 60] ।

(ग) दायर किये गये मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या तथा फैसले के लिये पड़े

†[ ] English translation.

‡The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. P. Khaitan.

बकाया मुकदमों को ध्यान में रखते हुए 1969 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 11 से बढ़ा कर 12 कर दी गई है। इसी प्रकार, गत तीन वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 245 से बढ़ा कर 302 कर दी गई है। इस अवधि में विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के 32 पदों को भी स्थायी न्यायाधीशों के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य प्राधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां भरने के लिये अविलम्ब सिफारिशें की जायें और जब कभी कोई सेवारत न्यायाधीश अन्य कार्यों मे लगाया जाये और जिसके छः महीने के भीतर उच्च न्यायालय को वापस आने की सम्भावना न हो, तो एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जाय, ताकि उच्च न्यायालय के कार्य में बाधा न पड़े।

उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या की जांच करने तथा उपचारीय उपायों का सुझाव देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधिपति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त की की गई है। उक्त समिति से मुकदमो के शीघ्र निपटाने के लिए विधि प्रक्रियाओं में यथावश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों का सुझाव देने की भी आशा की जाती है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix LXXIV, Annexure No. 69].

(c) Taking into account the rising institutions and pendency, the strength of the Supreme Court was increased from 11 to 12 Judges during 1969. Similarly, the Judge strength in the various High Courts taken together has been increased from 245 to 302 during the last three years. During this period thirty-two posts of additional Judge have been converted into post of permanent Judge in the various High Courts. The State authorities have further been advised that recommendations for the filling of vacancies in the High Courts should be made without delay and whenever a serving Judge is diverted to other duties and is not likely to come back to the High Court within six months, steps for the apointment of an Additional or *ad-hoc* Judge should be taken so that the work in the High Court does not suffer.

A committee of three judges with the Chief Justice of India as Chairman is going into the problem of arrears in the High Courts in order to suggest remedial measures. The Committee is also expected to suggest such changes in the legal procedures as may be necessary for the speedier disposal of cases.]

श्री आर० पी० खैतान : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखने से पता चलता है कि पेंडिंग केसेज़ हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं और जो पांच वर्ष के पुराने केसेज़ हैं वह भी काफी पड़े हुये हैं, तो क्या सरकार ऐसा भी कोई नियम बनाने की सोच रही है कि पुराने केसेज़ इतने वर्ष तक पेंडिंग न पड़े रहें और क्या सरकार ने ऐसी कोई हिदायत दी है।

और अभी आपने बतलाया कि उसके लिये एक कमेटी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनाई गई है, तो उसके बाद से उन्होंने क्या-क्या सुझाव दिये हैं। उन्होंने क्या इसके लिये कोई सुझाव दिये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह सही है कि जो मुकदमे अभी हाई कोर्ट में पैंडिंग हैं उनकी संख्या कुछ बढ़ रही है और यह इस चीज़ के बावजूद है कि जो मुकदमे तय किये जाते हैं, उनकी संख्या भी काफी बढ़ रही है, लेकिन जो मुकदमे दायर किये जाते हैं, उनकी संख्या काफी है और नतीजा यह है कि पैंडिंग केसेज़ की संख्या बढ़ रही है ।

जहां तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कोई हिदायत देने का प्रश्न है कि पुराने मुकदमों को पहले तय किया जाये, तो इस प्रकार का आदेश सरकार नहीं दे सकती, परन्तु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस समय-समय पर विशेष बेंचों का निर्माण कर के या अन्य प्रकार से अपनी कार्यविधियों में परिवर्तन कर के मुकदमों को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं ।

श्री आर० पी० खैरात : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मुकदमे हाई कोर्ट मे होते है, उनमे से हर साल में कितने मुकदमे वह तय करते हैं और इस हिसाब से जो पैंडिंग पड़े हुये है वह कितने वर्षो में तय हो जायेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : किस-किस वर्ष में कितने मुकदमे दायर हुये और कितने पैंडिंग हैं, उनका उल्लेख इस विवरण में दिया गया है और आज हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि सारे मुकदमे कब तय कर दिये जायेंगे ।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

POWER TARGET IN THE FOURTH PLAN

*470. DR. SALIG RAM:
SHRI KRISHAN KANT:
SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA:
SHRI ARJUN ARORA:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the power target of the Fourth Plan will be achieved in time;

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to make up for the delay?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (PROF. SIDDESHWAR PRASAD): (a) to (c). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) to (c). A review of the present schedules of construction of power stations sanctioned for commissioning during the Fourth Plan indicates that there would be a shortfall of about 2.2 million kW by the end of 1973-74. This shortfall is generally due to slippages in the dates for delivery of generating plant and equipment and in the case of some of the projects it is also due to delay in the progress of civil works. Steps are being taken to expedite the deliveries of generating plant and equipment and to accelerate the progress of civil works. A committee has been set up for periodically reviewing the progress of manufacture of generating plant and equipment and to coordinate it with the progress of civil works.

SHIFT IN TRADE PATTERN WITH EAST EUROPEAN COUNTRIES

*471. SHRI K. L. N. PRASAD: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the trade talks with the East European countries which were held in the 3rd week of September, 1970, India sought a shift in the trade pattern;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how far India has succeeded in this regard?